# कार्यालय अंचल अधिकारी, बेंगाबाद।

ई–मेलः– circlebengabad@gmail.com

**आदेश फलक**

वाद संख्या :– 09/21–22/04
वाद का प्रकार :– विविध

प्रथम पक्ष – श्री गिरिधारी पंडित
एवं अन्य
ग्राम – महुआर, थाना– बेंगाबाद
**बनाम्**
थम्भी पंडित
पिता – लाली पंडित एवं अन्य
ग्राम – महुआर, थाना– बेंगाबाद

| तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | कार्रवाई |
|---|---|---|
| 12.02.2022 | इस अभिलेख की कार्रवाई आवेदक गिरिधारी पंडित एवं तिलकी देवी, पंति रामेश्वर पंडित, ग्राम– महुआर के द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आलोक में प्रारंभ किया गया।<br>प्रश्नगत् आवेदन मौजा– महुआर, थाना नं० 17जी खाता 32, प्लॉट नं० 65, कुल रकवा 9 एकड़ 5 डिसमील से संबंधित है, जिसकी जमाबंदी पंजी–।। के पृष्ठ सं० 15 भोलुम नं० पर ऑनलाईन चुरामन कुम्हार वो उमेद कुम्हार के नाम से निर्गत होते आ रहा है, लेकिन अब उनके चचेरे भाई द्वारा फर्जी केवाला प्रस्तुत कर, जो कि 65 वर्ष पूर्व का है, उसे अभी तक दाखिल–खारिज नहीं करवाया गया है। उसे अपने नाम से दाखिल–खारिज करवाने का प्रयास किया जा रहा है और आवेदक के हिस्से की जमीन हड़पने का प्रयास करने का आरोप आवेदन पर दर्ज है, जिसे दाखिल–खारिज रद्द करने के लिए आवेदक के द्वारा अनुरोध किया गया हैं।<br>अतः आवेदक के द्वारा प्राप्त आवेदन के अनुसार थम्भी पंडित, पिता स्व० लाली पंडित एवं प्रभू पंडित को प्रश्नगत् मौजा– महुआर, थाना नं० 17जी खाता नं० 32, प्लॉट नं० 65, कुल रकवा 9.50 एकड़ भूमि का मूल राजस्व कागजात के साथ दिनांक 25.02.2022 के पूर्वा० में उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत करें। तदनुसार आवेदक को सूचित करें। यह वाद ई–राजस्व न्यायालय के अधिन है।<br>अंचल अधिकारी,<br>बेंगाबाद। | |
| 25.02.2022 | अभिलेख उपस्थापित।<br>नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त।<br>पक्ष/विपक्ष अपने–अपने दावा से संबंधित राजस्व कागजात के साथ उपस्थित। द्वितीय पक्ष थम्भी पंडित उपस्थित होकर अपने दावा के समर्थन में | |

Scanned with CamScanner

09/8/1971

वजरिये केवाला सं० 27177 दिनांक ~~08.10.1961~~ ई० को परवतीया जोजे हुरो
कुम्हार के द्वारा मसो० निरीया जोजे लाली कुम्हार को मौजा– महुआर, थाना नं० 17जी के अंतर्गत खाता नं० 32 के प्लॉट नं० 38 एवं अन्य कुल रकवा 1.14 एकड़ भूमि क्रय के द्वारा प्राप्त होने का दावा किया एवं प्रश्नगत् केवाला की छाया प्रति स्वघोषणा के साथ प्रस्तुत किया है। साथ ही दुसरा वजरिये केवाला सं० 3723 दिनांक 02.04.1960 ई० के द्वारा श्री हुकुम कुम्हार, पिता उमेद कुम्हार ने प्रभु कुम्हार वो थम्भी कुम्हार दोनों के पिता लाली कुम्हार के साथ मौजा महुआर, थाना नं० 17जी खाता नं० 32, प्लॉट नं० 439 एवं अन्य कुल रकवा 1.85 एकड़ भूमि बिक्री/क्रय का प्रश्नगत् केवाला की छाया प्रति स्व–घोषणा के साथ प्रस्तुत किया गया है।

प्रथम पक्ष के गिरिधारी पंडित सुनवाई के क्रम में उपस्थित थें। उनसे उपरोक्त दस्तावेजों के बारे में जवाब रखने को कहा गया, तो उन्होंने मौखिक बताया कि अगर मेरी पत्नी के पूर्वजों के द्वारा उपरोक्त भूमि का बिक्री किया गया, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अवशेष बचे भूमि का हिस्सा मुझे दे दिया जाए, जिस पर द्वितीय पक्ष द्वारा सुनवाई के क्रम में मौखिक सहमति जताई गई।

अंचल अधिकारी,
बेंगाबाद।

04.03.2022 | अभिलेख उपस्थापित।

आदेश हेतु अभिलेख दिनांक 08.03.2022 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
बेंगाबाद।

08.03.2022 | अभिलेख आदेश हेतु उपस्थापित।

**पारित आदेश**

प्रथम पक्ष गिरिधारी पंडित एवं तिलकी देवी, पति रामेश्वर पंडित द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई के क्रम में द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत वजरिये निबंधित केवाला सं० 27177 दिनांक 08.10.1961 ई० एवं 3723 दिनांक 02.04.1960 की छायाप्रति के आलोक में दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद स्पष्ट नहीं होने के कारण इस वाद की कार्रवाई बंद की जाती है, अगर इस वाद से पक्ष/विपक्ष को आपत्ति हो, तो वे सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

अंचल अधिकारी,
बेंगाबाद।

Digitally signed by PIYUSH SINHA
Date: 2022.03.21 17:38:08 +05:30
Location: 192.168.1.100

Scanned with CamScanner